

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 13/2018

दायर दिनांक : 04.06.2018

आदेश दिनांक : 29.08.2025

1. श्रीमती रतनदेवी पत्नी सुरेशचन्द्र कच्छारा, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्रीमती मोनिका पत्नी भूपेन्द्र चौरड़िया, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्रीमती कलादेवी पत्नी रमेश चौरड़िया, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

एवार्ड क्रमांक 3014(अ) / दिनांक 04.10.2013 / दि० 24.04.2017

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 जी उपधारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र विरुद्ध एवार्ड क्रमांक 3014(अ)/दिनांक 04.10.2013 दिनांक 24.04.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थीगण की भूमि जो राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद की आराजी संख्या 877 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा को भी सम्मिलित किया गया



(Handwritten signature)

है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 2500 रुपये प्रतिवर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 817,901/- रुपये ही तय किया गया है जो कि 5864/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 567 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। तत्कालीन समय में प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि में से एक आंशिक भूखण्ड 200 वर्गफीट का 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय किया था और उक्त दस्तावेज रेकॉर्ड पर होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीगण की 567 वर्गमीटर अवाप्त होने पर कुल 5862 वर्गफीट भूमि का मुआवजा 87,93,000 /- रुपये देय होता है तथा उसके भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा जानबूझकर देरी से अदा किया गया है। भूमि अवाप्ति के संबंध में पारित की गई अधिसूचना के बाद मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 30.10.2013 को प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 27.11.2013 को किया जाकर भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरण होने से राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम सरकार नगरपालिका के नाम पर दर्ज की गई है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा वर्ष 2010 में ही हो चुकी है जिसका पट्टा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका राजसमन्द द्वारा पट्टा संख्या 4261 दिनांक 11.06.2010 को जारी कर दिनांक 28.07.2010 को उक्त पट्टे का पंजीयन कराया गया है। मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं भू अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द के यहा पर प्रार्थनापत्र पेश किया तथा उक्त भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा होने का सूचना पत्र भी दिनांक 30.10.2013 को पेश किया उसके उपरान्त 04.10.2013 की अधिसूचना की पालना में प्रार्थी ने सक्षम अधिकारी, भूमि अवाप्ति अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द के यहां पर क्लेम आवेदनपत्र पेश कर तत्कालीन समय की बाजार दर 2500 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना करने का निवेदन किया। उक्त क्लेम आपत्ति के बाद भी मुआवजा अदा नहीं करने पर और प्रार्थीगण की भूमि पर रोड़ निकालने की कार्यवाही प्रारम्भ कर देने पर पुनः मुआवजा अदा करने बाबत प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2015 को प्रार्थीगण की ओर से मय समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया लेकिन तय किया गया मुआवजा केवल मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थीगण की सारी भूमि अर्थात 6,100 वर्गफीट अवाप्त हो चुकी है लेकिन मुआवजा मात्र 567 वर्गमीटर का ही तय किया गया एवं वह भी मनमकसूद तरीके से कम अदा किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 2500 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है जबकि इससे लगती हुई भूमि 1500 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय की गई है। प्रार्थीगण का मुआवजा कम दर से तय किया गया है। प्रार्थीगण ने मुआवजा अदा करने बाबत अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 16.04.2018 को एक प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने के बाबत सूचना पत्र भी प्रेषित किया जो प्रतिवादी को प्राप्त होने के बाद भी इसके मुआवजा का एवार्ड जारी नहीं किया गया न ही राशि की अदायगी की गई है। प्रार्थीगण की कुल अवाप्तशुदा भूमि 6100 वर्गफीट का मुआवजा 91,50,000 /- रुपये, जिस पर बाजार दर का डेढ़ गुना 1,37,25,000 /- रुपये



(Handwritten signature)

तथा इस पर दिनांक 30.01.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि 1,37,25,000/- रुपये प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थी की भूमि का बाजार दर से 3 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी तथा तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, उपस्थित हुए।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोईन्दा की आराजी नम्बर 877 रकबा 01 बीधा 19 बिश्वा में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अवाप्त होने का कथन सर्वथा अस्वीकार। विपक्षी ने नियमानुसार रु. 18,17,902/- तत्समय प्रचलित DLC दर से ग्राम आसोटिया में विधिवत् मुआवजा तय किया है, तथा प्रार्थीयां वर्तमान बाजार दर से भी अधिक दर रु. 2500/- प्रति वर्गफीट से मुआवजा प्राप्त करना चाहती है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। RFCTLARR Act 2013 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र असामयिक होने से अभी पोषणीय नहीं है। शेष कथन निराधार होने से अस्वीकार। प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता के मार्फत नोटिस अवश्य प्रेषित किया गया है, किन्तु अब तक कोई क्लेम वैध दस्तावेज पेश नहीं करने से कार्यवाही लम्बित है। विपक्षी ने दिनांक 21.10.2013 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, यह सूचना दिनांक 29.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, इसके बावजूद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना क्रमांक 3059 (अ) दिनांक 28.12.12 को प्रकाशित की जाकर प्राप्त अपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् अधिनियम की धारा 3 (घ) की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 29.10.2013 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 3014 दिनांक 04.10.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 00.000 कि.मी से 30.000 कि.मी (भीलवाडा-राजसमंद सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये ग्राम आसोटिया के खसरा सं. 877 रकबा 0.0567 है0 भूमि किस्म नहरी 2 जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार अधिनस्थ नगर पालिका दर्ज है बाबत् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि जवाबदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई



Deh

है। प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 877 रकबा 0.0567 है0 भूमि किस्म नहरी 2 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0.0319 है0 भूमि वाणिज्यिक उपयोग की भूमि है जिसमें से प्रार्थीगण की 0.0310 है0 सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 3A की अधिसूचना दिनांक 28.12.12 के प्रकाशन के पूर्व ही भूमि आवासीय/वाणिज्यिक रूपांतरण हो चुकी थी जिससे भूमि रूपांतरण पट्टों एवं तहसीलदार राजसमंद की मौके की रिपोर्ट एवं दिनांक 28.12.2012 को प्रचलित डी. एल.सी दर अनुसार प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि की 5864.20/- प्रति वर्ग मीटर प्राधिकरणी से मुआवजा निर्धारण किया गया है, जो विधिनुसार है। अधिनियम की धारा 3 प्रकाशन के बाद अधिनियम की धारा 3 D प्रकाशन तक विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पूर्ण होती है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। सक्षम प्राधिकारी जी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में विधिवत अर्वाड जारी फरमाया है एवं दिनांक 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के अनुसार संशोधित अर्वाड जारी फरमा दिया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावे विपक्षी संख्या 3 ने नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया राजसमंद की आराजी संख्या 877 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा को भी अवाप्ति में सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 2500 रुपये प्रतिवर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 817,901/- रुपये ही तय किया गया है जो कि 5864/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 567 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। तत्कालीन समय में प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि में से एक आंशिक भूखण्ड 200 वर्गफीट का 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय किया था और उक्त दस्तावेज रेकॉर्ड पर होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एर्वाड जारी किया गया जबकि प्रार्थीगण की 567 वर्गमीटर अवाप्त होने पर कुल 5862 वर्गफीट भूमि का मुआवजा 87,93,000 /- रुपये देय होता है तथा उसके भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा वर्ष 2010 में ही हो चुकी है जिसका पट्टा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका राजसमन्द द्वारा पट्टा संख्या 4261 दिनांक 11.06.2010 को जारी कर दिनांक 28.07.2010 को उक्त पट्टे का पंजीयन कराया गया है। मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं भू अवाप्ति अधिकारी



Deh

राजसमन्द के यहा पर प्रार्थनापत्र पेश किया तथा उक्त भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा होने का सूचना पत्र भी दिनांक 30.10.2013 को पेश किया उसके उपरान्त 04.10.2013 की अधिसूचना की पालना में प्रार्थी ने सक्षम अधिकारी, भूमि अवाप्ति अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द के यहां पर क्लेम आवेदनपत्र पेश कर तत्कालीन समय की बाजार दर 2500 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना करने का निवेदन किया। उक्त क्लेम आपत्ति के बाद भी मुआवजा अदा किया। नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की कुल अवाप्तशुदा भूमि 6100 वर्गफीट का मुआवजा 91,50,000/- रूपये, जिस पर बाजार दर का डेढ़ गुना 1,37,25,000/- रूपये तथा इस पर दिनांक 30.01.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि 1,37,25,000/- रूपये प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थी की भूमि का बाजार दर से 3 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि कि ग्राम धोईन्दा की आराजी नम्बर 877 रकबा 01 बीधा 19 बिश्वा में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अवाप्त होने का कथन सर्वथा अस्वीकार। विपक्षी ने नियमानुसार रू. 18,17,902/- तत्समय प्रचलित DLC दर से ग्राम आसोटिया में विधिवत् मुआवजा तय किया है, तथा प्रार्थीयां वर्तमान बाजार दर से भी अधिक दर रू. 2500/- प्रति वर्गफीट से मुआवजा प्राप्त करना चाहती है. जो स्वीकार योग्य नहीं है और RFCTLARR Act 2013 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र असामयिक होने से अभी पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया के खसरा सं. 877 रकबा 0.0567 है0 भूमि किस्म नहरी 2 जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार अधिनस्थ नगर पालिका दर्ज है बाबत् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 877 रकबा 0.0567 है0 भूमि किस्म नहरी 2 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0.0319 है0 भूमि वाणिज्यिक उपयोग की भूमि है जिसमें से प्रार्थीगण की 0.0310 है0 सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 3 A की अधिसूचना दिनांक 28.12.12 के प्रकाशन के पूर्व ही भूमि पंचायत पट्टा तथा



Asht

आवासीय/वाणिज्यिक रूपांतरण हो चुकी थी जिससे भूमि रूपांतरण पट्टों एवं तहसीलदार राजसमंद की मौके की रिपोर्ट एवं दिनांक 28.12.2012 को प्रचलित डी.एल.सी दर अनुसार प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि की 5864.20/- प्रति वर्ग मीटर प्राधिकरणी से मुआवजा निर्धारण किया गया है जो विधिनुसार है। सक्षम प्राधिकरी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में विधिवत अवार्ड जारी फरमाया है एवं दिनांक 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी फरमा दिया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी संख्या 3 ने नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। इस प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड कार्यालय सक्षम प्राधिकरी भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द द्वारा दिनांक 24.04.2017 को पारित किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया। प्रार्थी का इस प्रार्थना पत्र में यह कथन है कि चूंकि प्रार्थी कि अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड 12.05.2015 के बाद जारी किया गया है। इसीलिए इसमें भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अवार्ड राशि अदा होनी चाहिए।

प्रश्नगत प्रकरण में अवार्ड का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह अवार्ड अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी नहीं किया गया है। अपितु पुराने अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया है। RFCTLARR Act 2013 के अधिनियम में भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 को जारी कर संशोधन किया इस संशोधन में धारा 105 को संशोधित किया गया जिसके अनुसार यदि कोई भी अवार्ड 01.01.2015 के बाद जारी होता है तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उसकी गणना होनी चाहिए। इस प्रकरण में अवार्ड दिनांक 24.04.2017 को पारित हुआ है। जो कि 01.01.2015 के बाद की तिथि का है। अतः इसमें भी अवार्ड की गणना RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुरूप ही की जानी चाहिए। इस बिन्दु पर एन. एच आई के अधिवक्ता जो स्वयं उपस्थित थे उनके द्वारा भी इसमें कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। और यह स्वीकार किया कि 01.01.2015 के बाद जो भी अवार्ड जारी हुए हैं उन्हें RFCTLARR Act 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही जारी किये जाने चाहिए। लेकिन प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाब में अंकित किया गया है कि अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड दिनांक 30.10.2018 को पुनः RFCTLARR Act 2013 के तहत संशोधित कर अवार्ड जारी कर दिया गया है परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर दिनांक 30.10.2018 को जारी किया गया अवार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। अतः यदि पूर्व में 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के तहत संशोधित अवार्ड जारी कर दिया गया हो तो उसके अनुरूप भुगतान किया जाये और यदि अवार्ड जारी नहीं किया गया हो तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित अवार्ड जारी करे। अतः यह स्पष्ट है कि यहां प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना योग्य है।



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. K.' or similar, is written in the bottom right corner of the page.

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि यदि पूर्व 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के तहत संशोधित अवार्ड जारी कर दिया गया हो तो उसके अनुसार अविलम्ब भुगतान किया जाये और यदि अवार्ड जारी नहीं किया गया हो तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित अवार्ड जारी करे। निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को भिजवायी जावें।

(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द